सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2673011, 2671671 टैलीफैक्स : 0135–2670998, 2678945 E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्याः–580 /रा0नि0आ0–3/1452/2013 दिनांक09 नवम्बर 2021

आदेश

कोविड–19 के संबंध में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड–लाईन्स के अनुपालन में राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड के आदेश संख्या–4322/रा0नि0आ0–3/1452/2013 दिनांक 18 मार्च 2020 के द्वारा जिला योजना समिति सामान्य निर्वाचन–2020 हेतु दिनांक 24.03.2020 को होने वाले मतदान/मतगणना को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया था।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 1530/XII(1)/2021-86(26)/2016 दिनांक 08 नवम्बर, 2021 द्वारा प्राप्त सहमति के कम में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (**प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र–जिला पंचायत हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र को छोड़कर**) में जिला योजना समिति सामान्य निर्वाचन–2020 का स्थगित **मतदान दिनांक 18 नवम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक एवं मतगणना दिनांक 18 नवम्बर, 2021 को ही अपराह्न 03.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक** कोविड–19 के संबंध में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड–लाईन्स का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये सम्पन्न करायी जाय।

सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी (जिला योजना समिति) सार्वजनिक सूचना अपने स्तर से **दिनांक 11.11.2021** को निर्गत करेंगे और उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार करायेंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय, जिला पंचायत मुख्यालय तथा नगरीय निकायों के मुख्यालयों के सूचना पट्टों में निर्गत सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चस्पा कर प्रदर्शित भी करायेंगे।

उक्त निर्वाचन **"उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित)"** एवं तद्धीन बनायी गयी **"उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010"** तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे।

मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र निर्वाचन परिणाम घेषित किया जायेगा।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः–580/रा0नि0आ0–3/1452/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/मण्डलायुक्त, कुमायूं मण्डल नैनीताल।

क्रमशः...............2

09. समस्त जिलाधिकारी/निर्वाचन अधिकारी (जिला योजना समिति), उत्तराखण्ड को अनुपालनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा न्यूज चैनल्स को निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजना सुनिश्चित करें।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड।
13. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
15. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून/नजीबाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे अपने संचार माध्यमों से प्रसारित करा दें।
16. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हिमाली जोशी पेटवाल)
उप सचिव।